E-mail:- csalmdfo@rediffmail.com Phone/Fax :- (05962) 230229
पत्रांक 3636 / 12-1 अल्मोड़ा, दिनांक, 08/06/2023

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
अल्मोड़ा।

विषय :– **जनपद–अल्मोड़ा अन्तर्गत चैलछीना–बसन्तपुर–जैंती मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.602 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन।(प्रस्ताव संख्या 38787/2019)।**

संदर्भ :– **भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के द्वारा वी0सी0 में दिये गये निर्देशों के कम में।**

महोदय,

उक्त विषयक एवं निर्देशों के कम मे अधोहस्ताक्षरी द्वारा सहायक अभियन्ता एवं पी0डब्लयू0डी0 कर्मचारियों के साथ दिनांक 08.02.2023 को स्थलीय निरीक्षण किया गया और वी0सी0 में नोडल अधिकारी द्वारा पूछे गये समस्त बिन्दुओं पर चर्चा करते हुए स्थलीय निरीक्षण किया गया। चर्चा के उपरान्त आपके द्वारा अवगत कराया गया। कि उक्त मोटर मार्ग का औचित्य मात्र एक है कि उक्त मार्ग बनने से स्थानीय गांवो के व्यक्तियों एवं विद्यार्थियों को जैती मुख्यालय एवं स्कूल जाने में दूरी व समय की बचत हो सकती है। क्योंकि उक्त गांवों के ऊपरी भाग लगभग (300 मी0) में बने रोड से जैंती मुख्यालय सडक मार्ग से जुड चुका है।

लेकिन आपके द्वारा आज उक्त दिनांक को हुए संयुक्त निरीक्षण के उपरान्त प्रस्तुत संयुक्त निरीक्षण रिर्पोट में उक्त महत्वपूर्ण बिन्दुओं का उल्लेख नही है जो कि भारत सरकार द्वारा पूछा गया था कि उक्त गांव जिसको जोडने हेतु यह मोटर मार्ग बनाया जा रहा है उक्त गांव के ऊपरी एवं नीचलें भाग पहले से ही जुडे है। हमारे द्वारा दिनांक 08.02.2023 को स्थीयल निरीक्षण किया गया था। जिसकी रिर्पोट आपके द्वारा विलम्ब (4 माह बाद) में प्रस्तुत किया जा रहा है। विलम्ब से प्राप्त हुई सूचना के लिए आप स्वयं उत्तरदायी रहेंगे।

भवदीय,

(ध्रुव सिंह मर्तोलिया)
प्रभागीय वनाधिकारी,
सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, अल्मोड़ा।

संख्या– / **दिनांकित।**

प्रतिलिपि– जिलाधिकारी, अल्मोड़ा को सूचनार्थ प्रेषित।

(ध्रुव सिंह मर्तोलिया)
प्रभागीय वनाधिकारी,
सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, अल्मोड़ा।